Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Jamabandi Cancellation Revision Case No.-09/2024]
Kapleshwar Yadav...Petitioner.
Versus
The State of Bihar ....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.3.2026	**आदेश** यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं0-18/2019 में दिनांक-18.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :- खाता पुराना: 945; खेसरा पुराना: 6560; जमाबंदी संख्या: 529 दिनांक-19.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। Petitioner का अभिकथन है कि खाता पुराना-945, खेसरा पुराना-6560 पुराना सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास कब्जा मालिकान बकास्त के रूप में दर्ज रहता आया है। तथा यह कि भूतपूर्व जमींदार से फसली वर्ष 1347 अर्थात वर्ष 1940 में पुराना खाता नं.-945, खेसरा-6560 का रकवा 01 बीघा 15 कट्ठा दुर्गी सरदार को परमानगी बंदोबस्त के माध्यम से प्राप्त हुआ। तथा जमींदार द्वारा शेष रिटर्न भी दुर्गी सरदार के नाम से दिया गया। जिसके आधार पर जमाबंदी संख्या-116 दुर्गी सरदार पे.-गैना सरदार के नाम से कायम हुआ। उनका कहना है कि अपीलार्थी कपलेश्वर यादव को निबंधित दस्तावेज संख्या-7641 दिनांक-18.8.1985 के माध्यम से खाता पुराना-945 खेसरा पुराना-6560 का कुल रकवा 05 कट्ठा 16 धूर जमीन दुर्गी सरदार एवं उनके वारिसान से प्राप्त हुआ है। तथा विक्रेता द्वारा अपीलार्थी को दखल-कब्जा दिला दिया गया। जिसके आधार पर अंचल सिरिस्ता में दाखिल खारिज वाद संख्या-41/89-90 में पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी संख्या-529 कायम हुआ। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा उनके जमाबंदी को रद्द करने का आदेश विधिसम्मत नहीं है। तथा उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner की ओर से प्रश्नगत खेसरा की जमीन वर्ष 1940 में दुर्गी सरदार को परमानगी बंदोबस्त से प्राप्त होने तथा उनको दुर्गी सरदार से निबंधित दस्तावेज संख्या-7641 दिनांक-18.8.1985 के माध्यम से प्रश्नगत खेसरा का 05 कट्ठा 16 धूर जमीन प्राप्त होने तथा जमाबंदी संख्या-529 कायम होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। विपक्षी राज्य का कहना है कि दुर्गी सरदार द्वारा उक्त जमीन का कभी लगान नहीं दिया गया। तथा उक्त जमीन पर उनके वारिसान तथा अपीलार्थी का कभी दखल नहीं रहा। प्रश्नगत जमीन हमेशा से सरकारी कब्जे में रहा है। खेसरा संख्या-6560 का रकवा अधिक रहने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा सरकार की भूमि का चौहद्दी डालकर केवाला के माध्यम से दाखिल-खारिज कराकर जमाबंदी कायम करा लिया गया है। तथा नये केवालदार द्वारा जमींदार के पोखर का स्वरूप बदलकर सरकारी भूमि के दखल का प्रयास किया जा रहा	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

	09.3.2026	है। उपरोक्त तथ्यों को Negate करने के संबंध में Petitioner के स्तर से कोई संगत साक्ष्य सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय- समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा जमाबंदी रद्द अपील वाद संख्या-18/2019 में दिनांक-18.10.2023 को पारित आदेश में संगत तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस Revision वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं शुद्धित। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	